445 (3)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 445/प0प्र0अनु0–2015–16/देवरिया दिनांक : 9/7/15

दर आमंत्रण हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के मार्ग प्रकाश अनुभाग के अन्तर्गत पालिका निधि/राज्य वित्त से निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु फिलिप्स, हैवेल्स, क्राम्प्टन ग्रीवज, बजाज, सूर्या ब्रान्ड के मूल निर्माताओं/उनके डीलर्स से मुहर बन्द निविदायें दिनांक 24.07.2015 को 4.00 बजें तक आमत्रित की जाती है, जो पालिका में रखे गये निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि/समय तक डाली जायेगी तथा उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप सें 4.30 बजें खोली जायेगी। निविदा तिथि को अवकाश होने की दशा में अगलें कार्य दिवस पर डाली/खोली जायेगी। निविदा के साथ मु0 25000=00 रू0 धनराशि की धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पक्ष में राष्ट्रीय कृत बैंक से एफ.डी.आर./टी.डी.आर./एन.एस.सी./के.बी.पी. आदि के रूप में निर्गत हो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर के साथ डीलरशीप का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर प्रमाण पत्र संलग्न कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र दिनांक 23.07.2015 को प्रातः 11.00 बजें से सायं 4.00 बजें तक कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया के प्रकाश लिपिक पटल सें रू0 250/–का नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते है। उक्त विज्ञापन को www.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी अथवा बढ़ाई जा सकती है। एक अथवा सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया में निहित होगा।

क्र0सं0	समग्री का विवरण
1	सोडियम सेट 250 वाट कम्पलीट फिटिंग बल्ब सहित
2	सोडियम सेट 70 वाट कम्पलीट फिटिंग बल्ब सहित
3	ब्रेकेट पाइप 1.5"X 3' जी.आई. पाइप (आई.एस. मार्क)

नियम व शर्तेः–

1– निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2– निविदादाता को निविदा की दरे स्पष्ट रूप से शब्दों व अंको में निर्धारित स्थान पर साफ–साफ अंकित करनी होगी।

3– निविदाएँ सिर्फ प्रति अद्द की दरो हेतु मांगी गयी है। आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा आपूर्ति आदेश में दी जायेगी तथा स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाताओं को आपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी।

4– डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा, जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगी।

5– सफल निविदादाता को बढे हुए उपकरणो की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 3 दिन के अन्दर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एकरानामा करके कार्य मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एफ.डी.आर./के.वी.पी./एन.एस.सी./नगद जमानत की धनराशि जमा करना होगा।

6– अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोषागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।

7– कम्पनी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड देय होगा।

8– सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से आपूर्ति पूर्ण नहीं किया गया तो नगर पालिका परिषद को यह अधिकार होगा कि वह आपूर्ति किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो पालिका को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त कर पूर्ण कर लिया जायेगा।

9– कम्पनी/फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये विद्युत सामग्रियों में यदि कम्पनी द्वारा निर्धारित गारन्टी अवधि में किसी प्रकार की कोई खराबी या कमी पाये जाने की दशा में उक्त सामग्री को बदलना अनिवार्य होगा।

10– सफल निविदादाता द्वारा पहले विद्युत सामग्री का सैम्पल पथ प्रकाश स्टोर में देना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

11– किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद देवरिया के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

12– न्यूनतम निविदादाता को आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्पूर्ण सामानो की आपूर्ति एकमुश्त करना अनिवार्य होगा।

13– आपूर्ति लिये जाने वाले प्रकाश उपकरणों के लिए व्यापार कर में पंजीकृत व्यापारी/आपूर्तिकर्ता होना अनिवार्य होगा।

14– उत्तर प्रदेश व्यापार/आयर विभाग से पंजीकृत फर्मो को ही निविदा खरीदने व डालने का अधिकार होगा।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,देवरिया

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद देवरिया

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक "स्वतंत्र चेतना" को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को मु0 सरकारी दर पर कम से कम स्थान में प्रकाशित अपने समाचार पत्र में करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, देवरिया।

3– श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कम्प्यूटर आपरेटर, न0 पा0 दे0 को इस आशय से पालिका के बेवसाइट पर लोड करने हेतु।

5– नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन पर चस्पा हेतु।

अध्यक्ष